सत्यमेव जयते

नगरपालिका आम निर्वाचन–2022

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>शिकायत</th><th>Call Centre के वार्ड गठन संबंधित संभावित प्रश्न का उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 का वर्तमान में81 नगरपालिकाओं के गठित वार्ड के लिए वार्ड गठन के तैयारी के संबंध में समय सारणी क्या है?</td><td>
<table>
<tr><th>कार्य का विवरण</th><th>अवधि(दिनांक)</th></tr>
<tr><td>वार्डो का परिसीमन एवं गठन</td><td>13.04.2022 से 27.04.2022 तक</td></tr>
<tr><td>गठित वार्डो का प्रारूप प्रकाशन</td><td>28.04.2022</td></tr>
<tr><td>आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि</td><td>28.04.2022 से 11.05.2022 तक</td></tr>
<tr><td>प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन</td><td>30.04.2022 से 20.05.2022 तक</td></tr>
<tr><td>अंतिम रूप से गठित वार्डो का जिला गजट में प्रकाशन</td><td>30.05.2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वार्ड गठन संबंधी सूचना कहाॅ प्राप्त होगी?</td><td>नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड गठन से संबंधित सारी जानकारियाँ आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है एवं नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय में देख सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वार्ड गठन संबंधी क्या–क्या सूचना दी गयी है?</td><td>वार्ड गठन में वेबसाईट पर नक्शा के साथ चिन्हित कर सीमांकन की गयी है। वार्ड की सीमा भौगोलिक, प्राकृतिक या कृत्रिम संरचना के जरीये एक दूसरे के साथ साफ–साफ अलग की गयी है। साथ ही इसमें वार्ड संख्या एवं उसके अतर्गत पड़नेवाले जनसंख्या का विवरण भी अंकित होता है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मेरे वार्ड का गठन का संख्यांकन किस प्रकार की गयी है?</td><td>वार्ड गठन के चौहद्दी बनने के बाद मानक जनसंख्या से वार्ड का गठन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वार्ड का संख्यांकन उत्तर–पश्चिम से प्रारंभ करते हुए दक्षिण–पूर्व में समाप्त लगातार किया गया है।</td></tr>
</table>

5	**नगरपालिका का गठन किस जनसंख्या पर होता है?**	नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम को 2 लाख, नगर परिषद को 40 हजार एवं नगर पंचायत को 12 हजार न्यूनतम जनसंख्या होने पड़ नगरपालिका का गठन किया जाता है। (क) नगर निगम में 2 लाख से 5 लाख तक 45 वार्ड का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 25 हजार पर 1 वार्ड का गठन करते हुए अधिकतम 57 वार्ड का गठन किया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख तक 57 वार्ड का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 50 हजार पर 1 वार्ड गठन करते हुए अधिकतम 67 वार्ड तक गठन किया जाएगा। 10 लाख से उपर 67 वार्ड एवं प्रत्येक 75 हजार पर 1 वार्ड गठन करते हुए अधितम 75 वार्ड का गठन किया जाता है। (ख) नगर परिषद में न्यूनतम 40 हजार पर 25 वार्ड का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 5 हजार पर 1 वार्ड का गठन करते हुए अधिकतम 37 वार्ड का गठन किया जाएगा। 1 लाख से उपर 37 वार्ड तक गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 10 हजार पर 1 वार्ड गठन करते हुए 42 वार्ड का गठन किया जाएगा। 1.5 लाख से उपर 42 वार्ड का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 15 हजार 1 वार्ड का गठन करते हुए अधिकतम 45 वार्ड तक गठन किया जाएगा। (ग) नगर पंचायत में न्यूनतम 12 हजार पर 10 वार्ड का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक 2 हजार पर 1 वार्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन अधिकतम 25 वार्ड तक गठन किया जाएगा।
6	**वार्ड गठन में त्रुटि/शिकायत/सुझाव कहॉ दर्ज करा सकते है?**	1. वार्ड गठन के त्रुटि/शिकायत/सुझाव, जिला/अनु0 पदा0/नगर निकाय के कार्यालय में लिखित रूप में देगें। 2. वार्ड गठन के त्रुटि/शिकायत/सुझाव विभागीय वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर भी कर सकते है। वेबसाईट पर नगरपालिका के पोर्टल अंतर्गत समाधान पोर्टल पर जाना है। तत्पश्चात जिला/नगर निकाय/नाम/वार्ड पर क्लिक करते हुए कंप्लेन बौक्स में जाना है। वहॉ पर आप लिखित वीडियो/ऑडियो से शिकायत कर सकते है। शिकायतोपरांत ऑपलिकेशन आई0डी0 दर्ज कर लें, जिसका उपयोग Know Your Status पर देख सकते है।

7	नगरपालिका का गठन किस जनसंख्या पर होता है?	(क) नगरपालिका निर्वाचन में वार्ड का गठन नगर निगम में मानक जनसंख्या 1000 अधिकतम एवं 1000 न्यूनतम जनसंख्या पर किया जाता है। नगर परिषद/पंचायत में अधिकतम एवं न्यूनतम 500 पर गठन किया जाता है। उदाहरण यदि नगर निगम में मानक जनसंख्या 4500 है, तो वार्ड का गठन अधितम 5500 एवं न्यूनतम 3500 पर होगा। यदि नगर परिषद एवं नगर पंचायत में मानक जनसंख्या–1600 है, तो वार्ड का गठन अधिकतम 2100 एवं न्यूनतम 1100 पर होगा। (ख)नगर निगम को 2 लाख, नगर परिषद का 40 हजार एवं नगर पंचायत का 12 हजार न्यूनतम जनसंख्या है।
8	नगरपालिका का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए की जाती है ?	5 वर्षों के लिए की जाती है।
9	महापौर/उपमहापौर/अध्यक्ष/ उपा– ध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होगा ?	अधिसूचना के अनुसार महापौर/उप महापौर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाना है।
10	नगर पंचायत का गठन कब है ?	74 निकायों में वार्ड का गठन प्रथम चरण में पूर्ण है। 70 निकायों में यथास्थिति बनी हुई है। द्वितीय चरण में 6 नगर निगम, 34 नगर परिषद एवं 41 नगर पंचायत का प्रारूप प्रकाशन नगरपालिका कार्यालय/अनुमंडल/जिला कार्यालय में किया गया है। आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर भी देख सकते हैं।
11	वार्ड गठन का प्रारूप प्रकाशन की तिथि	28 अप्रैल, 2022
12	**आपत्ति प्राप्त की अवधि**	28 अप्रैल, 2022 से 11 मई, 2022 तक
13	आपत्ति का अंतिम तिथि क्या है ?	प्रकाशन का अंतिम तिथि 11 मई, 2022
14	**वार्ड गठन का अंतिम प्रकाशन एवं संबंधित आपत्ति का निष्पादन कब तक किया जाना है ?**	अंतिम प्रकाशन 30 मई 2022 को निर्धारित है। वार्ड गठन से संबंधित आपत्ति का निष्पादन दिनांक–20.05.2022 तक किया जाना है।
15	मेरे वार्ड का आरक्षण क्या है ?	वार्ड गठन के अंतिम प्रकाशन के पश्चात आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।